राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

विज्ञापन संख्या-06/2018

राज्य में स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा मुहैय्या कराने हेतु जनहित में सदर/अनुमंडलीय/रेफरल अस्पतालों (First Referral Units) में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सक (Specialist Doctor) के संविदागत् पदों पर चयन/नियोजन हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों, जो भारत के नागरिक है, से Online आवेदन आमंत्रित किये जाते है :-

क्र० सं०	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	मानदेय (प्रतिमाह रु० में)
1	Obstetricians & Gynaecologist	**127** (UR-61, MBC-22, BC-16, SC-22, ST-02, WBC-04)	1,00,000/- for MD/MS/DNB (Posting for District Head Quarter) or; 1,20,000/- for MD/MS/DNB (Posting for other then District Head Quarter) or; 90,000/- for Diploma in respective of place of posting
2	Peadiatrician	**143** (UR-67, MBC-27, BC-18, SC-24, ST-02, WBC-05)	
3	Aneasthetist	**138** (UR-69, MBC-23, BC-16, SC-24, ST-02, WBC-04)	

नोट: सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प सं० 11/आ०नी०-1-11/2015 सा०प्र० 963 दिनांक 20-01-16 के आलोक में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ देय होगा। उक्त विभाग के संकल्प संख्या 13062 दिनांक 12.10.2017 के आलोक में दिव्यांगों को 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। उक्त विभाग के ही पत्रांक 2526 दिनांक 18.02.2016 के आलोक में स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतिनी को 02 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा।

1. उक्त सभी पदों हेतु TOR एवं विस्तृत निर्देश राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के अधिकृत Website - www.statehealthsocietybihar.org पर उपलब्ध है, जिसे डाउनलोड किया जा सकता है।
2. उक्त सभी पद हेतु अधिकतम उम्र सीमा 55 वर्ष (सभी कोटियों के लिए) होगी। आयु एवं शैक्षणिक योग्यता आदि के लिए Cut off Date- 01.07.2018 होगी।
3. इच्छुक अभ्यर्थी राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के अधिकृत Website- www.statehealthsocietybihar.org के Careers Link पर क्लिक करके दिशा-निर्देश का अनुपालन करते हुए Online आवेदन कर सकते हैं। उक्त पदों हेतु TOR एवं सामान्य निदेश में वर्णित शर्तो का ध्यान रखना आवेदक की जिम्मेदारी होगी।
4. उक्त सभी पदों हेतु Online आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि एवं समय निम्नवत् निर्धारित है:-

Online आवेदन भरने की अंतिम तिथि एवं समय	**दिनांक: 31/07/2018 को अपराह्न 11:59 बजे तक**

5. राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार उक्त पदों या पदों की संख्या या विज्ञापन को रद्द करने या उक्त सभी पद या कोई एक पद को बिना किसी सूचना के समाप्त/परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

कार्यपालक निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार।

07/7/18

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

विस्तृत निर्देश

(विज्ञापन संख्या-06/2018)

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के विज्ञापन सं० 06/2018 के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य के सदर/अनुमंडलीय/रेफरल अस्पतालों (First Referral Units) में निम्नांकित विशेषज्ञ चिकित्सक (Specialist Doctor) के संविदागत् पदों पर चयन/नियोजन हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों, जो भारत के नागरिक हैं, से Online आवेदन आमंत्रित किये गये हैं:–

क्र० सं०	पद का नाम	न्यूनतम अनिवार्य अर्हत्ता	रिक्त पदों की संख्या
1	Obstetricians & Gynaecologist	• MD in Obs. & Gynae from a recognized Institute/University or; • MS in Obs. & Gynae from a recognized Institute/University or; • DNB in Obs. & Gynae from a recognized Institute/University. Or • DGO from a recognized Institute/University. • The above qualification must be registered with Bihar Medical Council or Medical Council of India before joining.	**127** (UR-61, MBC-22, BC-16, SC-22, ST-02, WBC-04)
2	Peadiatrician	• MD in Paediatrics from a recognized Institute/University or; • DNB in Paediatrics from a recognized Institute/University. Or • Diploma in Child Health (DCH) from a recognized Institute/University. • The above qualification must be registered with Bihar Medical Council or Medical Council of India before joining.	**143** (UR-67, MBC-27, BC-18, SC-24, ST-02, WBC-05)
3	Aneasthetist	• MD in Anaesthesia from a recognized Institute/University or; • DNB in Anaesthesia from a recognized Institute/University. Or • Diploma Anaesthesia (DA) from a recognized Institute/University • The above qualification must be registered with Bihar Medical Council or Medical Council of India before joining.	**138** (UR-69, MBC-23, BC-16, SC-24, ST-02, WBC-04)

नोट: सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प सं0 11/आ0नी0–1–11/2015 सा0प्र0 963 दिनांक 20.01.16 एवं पत्रांक 2342 दिनांक 15.02.2016 के आलोक में महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण, संकल्प सं०–13062 दिनांक 12.10.2017 के आलोक में दिव्यांगों के लिए 4% क्षैतिज आरक्षण तथा पत्रांक 2526 दिनांक 18.02.2016 के आलोक में स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती एवं नाती/नतिनियों के लिए 2% क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमान्य होगा।

निर्देश:–

1. उक्त सभी पदों हेतु TOR, विज्ञापन राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के अधिकृत Website - www.statehealthsocietybihar.org पर उपलब्ध है, जिसे download किया जा सकता है।
2. उक्त सभी पद हेतु अधिकतम आयु 55 वर्ष (सभी कोटियों के लिए) होगी। उक्त सभी पदों हेतु आयु एवं शैक्षणिक योग्यता के लिए Cut off Date- 01.07.2018 होगी।

3. **मानदेय**

NHM के तहत उक्त सभी विशेषज्ञ चिकित्सकों का निम्नानुसार मानदेय/प्रतिमाह का निर्धारण किया जा सकता है:–

शैक्षणिक योग्यता	पदस्थापन स्थल	मानदेय/प्रतिमाह
MS/MD/DNB	जिला मुख्यालय में (यथा–सदर अस्पताल/अनुमंडलीय अस्पताल)	₹1,00,000/– (एक लाख रुपये मात्र)
MS/MD/DNB for Aneasthetist, Peadiatrician and Obstetricians & Gynaecology only.	जिला मुख्यालय से बाहर (यथा–अनुमंडलीय अस्पताल/रेफरल अस्पताल)	₹1,20,000/– (एक लाख रुपये मात्र)
Diploma	जिला मुख्यालय में अथवा जिला मुख्यालय से बाहर (यथा–सदर अस्पताल/अनुमंडलीय अस्पताल/रेफरल अस्पताल)	₹90,000/– (नब्बे हजार रुपये मात्र)

4. इच्छुक अभ्यर्थी राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के अधिकृत Website- **www.statehealthsocietybihar.org** के Careers Link पर क्लिक करके दिशा–निर्देश का अनुपालन करते हुए Online आवेदन कर सकते हैं। उक्त पदों हेतु TOR एवं निर्देश में वर्णित शर्तों का ध्यान रखना आवेदक की जिम्मेदारी होगी।

5. उक्त पद के लिए Online आवेदन पत्र समर्पित करने हेतु निम्नानुसार तिथि का निर्धारण किया जाता है:–

Online आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि	**दिनांक: 31/07/2018 (मंगलवार) को अपराह्ण 11:59 बजे तक**

6. नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर 11 माह के लिए किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों के संतोषप्रद कार्य, पदों की आवश्यकता एवं राशि की उपलब्धता के आधार पर संविदा अवधि का विस्तार किया जा सकेगा।

7. संविदागत नियोजन के आधार पर किसी भी तरह का नियमितीकरण अथवा पुनर्नियोजन का दावा मान्य नहीं होगा।

8. **आरक्षण:–**

(i) आरक्षण सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् बिहार राज्य के बाहर के निवासी (अभ्यर्थी) को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। Online आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। Online आवेदन में भरा गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए अनुमान्य होगा।

(ii) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरुप आरक्षण कोटि के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षण कोटि का अंकन Online आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे। किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।

(iii) Online आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के पास जाति प्रमाण–पत्र तथा निवास प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए।

(iv) उसी प्रकार, Online आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले पिछड़ी जाति एवं अत्यंत पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों के पास जाति प्रमाण–पत्र, निवास प्रमाण–पत्र तथा क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, निवास प्रमाण–पत्र मान्य होगा।

(v) Online आवेदन करते समय दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का दावा करने वाले दिव्यांग उम्मीदवार के पास सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निःशक्तता (दिव्यांगता) प्रमाण–पत्र निश्चित रूप

से उपलब्ध होना चाहिए ताकि किसी भी समय समिति (SHSB) के द्वारा मांग किये जाने पर उम्मीदवार उसे प्रस्तुत कर सकें।

(vi) भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानियों के नाती/नतिनी/पोता/पोती के लिए आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को Online आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानियों के नाती/नतिनी/पोता/पोती होने का) प्रमाण–पत्र एवं पहचान–पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए।

(vii) नियोजन की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।

9. इच्छुक अभ्यर्थी राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के अधिकृत Website- **www.statehealthsocietybihar.org** के Careers Link पर क्लिक करके दिशा–निर्देश का अनुपालन करते हुए Online आवेदन कर सकते हैं। Online आवेदन समर्पित करते समय इंगित कॉलम में अद्यतन passport size रंगीन फोटो (20kb to 100kb in JPG/JPEG/PNG format) एवं हस्ताक्षर (10kb to 100kb in JPG/JPEG/PNG format) में upload करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती हे कि Online आवेदन में upload किये जाने वाले passport size रंगीन फोटो की पाँच प्रति print कर सुरक्षित रखेंगे ताकि किसी भी समय समिति (SHSB) के द्वारा मांग किये जाने पर उम्मीदवार उसे प्रस्तुत कर सकें।

10. उक्त पदों पर चयन/नियोजन हेतु अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं Online आवेदन भरा जाना है। अभ्यर्थी Online आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा–निदेश का भली–भांति अध्ययन कर लेंगे तथा Online आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएं सही–सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। Online आवेदन भरने हेतु आवश्यक निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं इसमें किसी भी प्रकार की गलत सूचना दर्ज करने, सूचना छूट जाने या आंशिक सूचना दर्ज करने पर इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जवाबदेह होंगे। अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार जिम्मेवार नहीं होगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

Online आवेदन में भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण–पत्र/अंक प्रमाण–पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

11. संसूचन मोड केवल E-Mail/SMS होगा। इस प्रकार, अभ्यर्थी Online आवेदन समर्पित करते समय Active E-Mail ID एवं Mobile Number इंगित कॉलम में अंकित करेंगे। E-Mail ID एवं Mobile Number गलत रहने पर संसूचन नहीं हो पाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की ही होगी।

12. अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि Online आवेदन समर्पित करने के पश्चात वे आवेदन पत्र की प्रति डाउनलोड करते हुए प्रिंट कर लेंगे तथा आवेदन पत्र की प्रति नियोजन होने तक सुरक्षित रखेंगे ताकि किसी भी समय राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के द्वारा मांग किये जाने पर उम्मीदवार उसे प्रस्तुत कर सकें।

13. Internet या बैंक व्यवधान के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार उत्तरदायी नहीं होगी। अतः अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि का इन्तजार नहीं करेंगे एवं इसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूर्ण कर लेंगे।

14. **चयन का आधार/मापदण्ड का निर्धारण**

सभी विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों पर चयन/नियोजन के लिए कुल अंक 100 निर्धारित करते हुए शैक्षणिक योग्यता हेतु अंक निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:–

(i) MBBS परीक्षा में प्राप्तांक :	**कुल 60 अंक**
(ii) MS/MD/DNB परीक्षा में प्राप्तांक :	**कुल 40 अंक (flat)**
या	
Diploma परीक्षा में प्राप्तांक :	**कुल 30 अंक (flat)**

नोटः–

(a) MBBS की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किये जाने वाले अंकों का अवधारण उक्त परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.60 के गुणक से गुणा कर के किया जायेगा। उदाहरणार्थ, यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा MBBS में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किया गया हो तो उसे 50%X0.60=30 अंक दिये जाएंगे तथा MD/MS/DNB के लिए flat 40 अंक एवं Diploma के लिए flat 30 अंक दिये जायंगे।

(b) किसी अभ्यर्थी को MBBS की परीक्षा में ग्रेड अथवा CGPA अंक प्रदान किया हो तो, यदि संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान से MBBS की परीक्षा में ग्रेड अथवा CGPA अंक को प्रतिशत में Convert किया गया होगा तो उसी प्रतिशत को आधार बनाया जायगा, अन्यथा ग्रेड अथवा CGPA अंकधारी अभ्यर्थी को फ्लैट रेट से 50% अंक निर्धारित किया जाएगा। जो न्यूनतम अर्हतांक माना जाएगा।

(c) स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक 2/नियुक्ति–01/2010–297(2) दिनांक 04.03.2015 के तहत विदेश से प्राप्त सभी डिग्री धारकों को एम.बी.बी.एस. प्राप्तांक की गणना 50 प्रतिशत पर की जानी है तथा उनका निबंधन एम.सी.आई. से होना अनिवार्य है, के अनुरूप निर्धारित की जाएगी।

15. उक्त पदों के लिए काउन्सेलिंग हेतु किसी भी प्रकार का TA/DA अनुमान्य नहीं होगा।

16. बिना किसी पूर्व सूचना के रिक्ति/कोटिवार रिक्ति की संख्या में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नियोजन के पूर्व एवं नियोजन के पश्चात् करने हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

17. राज्य स्वास्थ्य समिति उक्त पदों या पदों की संख्या या विज्ञापन को रद्द करने या उक्त सभी पद या कोई एक पद को बिना किसी सूचना के समाप्त/परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

कार्यपालक निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार।